-58-

21

प्रेषक

महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा,
चण्डीगढ़ ।

सेवा में,

सभी महाप्रबन्धक,
हरियाणा राज्य परिवहन,

क्रमांक 800 — 819 /टी0आई0—4
दिनांक 21-6-2011

विषयः— निरीक्षक/उप—निरीक्षक द्वारा दस गुणा जुर्माना करने बारे ।

उपरोक्त विषय के सन्दर्भ में मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 112 (2)तथा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 178 की छाया प्रति भेजकर आप को अवगत करवाया जाता है कि मोटरयान अधिनियम, 1939 की धारा 112(2) के तहत बिना टिकट यात्री को 500 रु0 तक जुर्माना करने का प्रावधान है । इसी प्रकार मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 178 में बिना टिकट यात्री से 500 रु0 तक जुर्माना वसूल करने का प्रावधान है । आप अपने अधीन कार्यरत निरीक्षक/उप—निरीक्षक को आदेश जारी करें कि बिना टिकट यात्री से अधिनियम, 1988 की धारा 178 के अर्न्तगत 500 रु0 तक जुर्माना ही वसूल किया जाये तथा उक्त बारे हरियाणा राज्य परिवहन की सभी बसों में भी लिखवाया जाये ।

अतः आप को निर्देश दिये जाते है कि उपरोक्त की अक्षरतः की पालना सुनिश्चित की जाये तथा की गई कार्यवाही से मुख्यालय को भी अवगत करवाया जाये ।

कृतेः महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़ ।

पृ0 कं0 /टी0आई0—4 दिनांक 21-6-11

इस की एक प्रति वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार, परिवहन विभाग को सूचनार्थ प्रेषित की जाती है ।

2— इस की एक प्रति महाप्रबन्धक, हरियाणा राज्य परिवहन, नारनौल के अर्ध सरकारी पत्र 2381/सी0आई0 दिनांक 27—4—2011 के सन्दर्भ में सूचनार्थ /आवश्यक कार्यवाही हेतू प्रेषित है ।

-Sd-
कृतेः महानिदेशक,
राज्य परिवहन हरियाणा चण्डीगढ़ ।